

## Office: (DDO Code :-)

## Income Tax Calculation F.Y.:2022-23 (A.Y.:2023-24)

Tax Regime (Old/New)

1	कर्मचारी का नाम :-	0	पद :-		PAN :-					
2	आय:वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्त वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मूल्य सहित)				Rs.					
3	गृह किराया धारा 10 (13-A) के अंतर्गत एवं 10(14) के अंतर्गत वेतन भते जो कर मुक्त है।				Rs.					
4					शेष (2-3)	Rs.				
5	(i) मनोरंजन भत्ता धारा 16 (ii) के अंतर्गत (अधिकतम 5000 रूपये)									
	(ii) व्यवसाय कर धारा 16 (iii) के अंतर्गत (अधिकतम 5000 रूपये)									
	(iii) स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction)-अधिकतम 50,000				Rs.					
6					शेष (4-5)	Rs.				
7	(अ) गृह सम्पत्ति से आय (1) स्वयं के उपयोग में शून्य		(2) प्राप्त किराया							
	(ब) घटाइए	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7 (ब)					
					शेष -/+ {7(अ) एवं योग 7(ब)}	Rs.				
8					कुल शेष -/+ (6 एवं 7)	Rs.				
9	अन्य आय	9(i) अन्य आय (बैंक/एफडी में जमा ब्याज/अन्य ब्याज आदि का योग)			Rs.					
		9(ii) (-----)								
		9(iii) (-----)								
					कुल (बिंदु संख्या -9)					
10	सकल आय			योग (8+9)	Rs.					
11	घटाइए कटौतियाँ :- धारा US 80C, 80CCC, 80CCD (1)									
	(A) अधिकतम सीमा 1.50 लाख (धारा 80 CCE) के अलावा									
	(i) राज्य बीमा (SI)	Rs.		(x) पेंशन प्लान हेतु अंशदान (धारा 80CCC)	Rs.					
	(ii) जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)	Rs.		(xi) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत ब्याज	Rs.					
	(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	Rs.		(xii) ट्यूशन फी	Rs.					
	(iv) लोक भविष्य निधि (PPF)	Rs.		(xiii) इकिटी लिंक सेविंग स्कीम	Rs.					
	(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS)	Rs.		(xiv) स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuity)	Rs.					
	(vi) GPF/GPF 2004	Rs.		(xv) पी.एल.आई. (PLI)	Rs.					
	(vii) सामूहिक दुर्घटना बीमा (GIS)	Rs.		(xvi) अन्य जमा राशी (80 C धारा के अंतर्गत)	Rs.					
	(viii) UPLI/वार्षिक प्लान	Rs.		(xvii) सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	Rs.					
	(ix) गृह ऋण किश्त(HBA Premium)	Rs.		(xviii)	Rs.					
				योग (i से xviii तक)	Rs.					
				अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रूपये तक	Rs.					
	(B) घटाइए - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु.50,000)				Rs.					
					योग 11(A+B+C)	Rs.				
12	अन्य कटौतियाँ									
	1. धारा 80D - चिकित्सा बीमा प्रीमियम {स्वयं/पति/पत्नी हेतु 25,000 माता/पिता हेतु 25,000, वरिष्ठ नागरिक 50,000}				Rs.					
	2. धारा 80DD - विकलांग आश्रितों का चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000, 80% या अधिक विकलांगता 1,25,000)				Rs.					
	3. धारा 80DDB - विशेष रोगों के उपचार हेतु कटौती (सामान्य 40,000 एवं वरिष्ठ नागरिक 1 लाख)				Rs.					
	4. धारा 80E - उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज (धारा 80E)				Rs.					
	5. धारा 80G - धर्मार्थ संस्थाओं को दिए दान (श्रेणी 'क' 100% एवं श्रेणी 'ख' 50%)				Rs.					
	6. धारा 80U - स्थाई शारीरिक विकलांगता को दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995 के अनुसार 80% विकलांगता 1,25,000)				Rs.					
	7. अधिनियम 1995 के अनुसार धारा 80 TTA के तहत बचत खाते की जमा राशी पर प्राप्त ब्याज में छूट 10000 (80 TTB-वरिष्ठ नागरिक अधिकतम 50,000)				Rs.					
	8. धारा 80 GGA - अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान				Rs.					
					कुल यांग 12 (1 से 8)	Rs.				
13	कुल कटौती (11 एवं 12)				Rs.					
14	कर योग्य आय (10-13)				Rs.					
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A				Rs.					
16	उपरोक्त बिंदु 15 के आधार पर आयकर की गणना									
	सामान्य करदाता		वरिष्ठ नागरिक (आयु 60 से 80 वर्ष)		80 वर्ष या अधिक आयु					
	2,50,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil				
	2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%				
	5,00,001-7,50,000	10%	5,00,001-7,50,000	10%	5,00,001-7,50,000	10%				
	7,50,001-10,00,000	15%	7,50,001-10,00,000	15%	7,50,001-10,00,000	15%				
	10,00,001-12,50,000	20%	10,00,001-12,50,000	20%	10,00,001-12,50,000	20%				
	12,50,001-15,00,000	25%	12,50,001-15,00,000	25%	12,50,001-15,00,000	25%				
	15,00,000 से अधिक	30%	15,00,000 से अधिक	30%	15,00,000 से अधिक	30%				
	(1) योग आयकर					Rs.				
	(2) छूट धारा 87 (A) (2.50 लाख से 5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रूपये 12,500 तक)					Rs.				
	(3) शेष आयकर (1-2)					Rs.				
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए आंध्र 2% (योग 4%)					Rs.				
						कुल आयकर (3+4)				
17	घटाइए :- धारा 89 के अंतर्गत राहत Rule 21A(2)					Rs.				
18	कुल शेष आयकर					Rs.				
	कुल शेष आयकर की राशि (दस के गुणक में)					Rs.				
19	आयकर कटौती का विवरण	Itax deducted Till Jun-2022 (First Quarter)	Itax deducted July-22 to Sep.-22 (Second Quarter)	Itax deducted Oct-22 to Dec.-22 (Third Quarter)	Itax Deducted/Deductible by Dec.22 Salary	Itax Deducted/Deductible by Jan-23 Salary	Itax Deducted/Deductible by Feb-23 Salary	Itax Deducted addition to Salary	Itax submitted by other means	बिंदु 19 का योग
										Rs.
										Income Tax Refundable/Payble
										Rs.

Signature of Employee

Signature of DDO ()

**Office: (DDO Code :-)**  
**Employee GA-55 (For Itax Calculation)**

Financial Year :- **2022-23**

Employee Name :-

Designation :-

Employee ID :-

PAN No. :-

Pay Matrix Level :-

Account Number :-

Sr. No.	Month	TV Number	TV Date	Allowance										Deductions										Net Payment						
				Basic	DA	HRA	DP	Washing All.	Handi. All.	ROP (if any)	Other-1	Other-2	Groce Amount	GPF/ GPF-2004	SI	SIL	RGHS	LIC	GIS	HBA	CmCorona Relief	Htkari Nidhi	Other-1		Other-2	Income Tax	Total Deductions			
1	Mar-22																													
2	Apr-22																													
3	May-22																													
4	Jun-22																													
5	Jul-22																													
6	Aug-22																													
7	Sep-22																													
8	Oct-22																													
9	Nov-22																													
10	Dec-22																													
11	Jan-23																													
12	Feb-23																													
Bonus																														
DA (Jan-22 to Mar-22)																														
DA (Jul-22 to Sep-22)																														
Surrender																														
Surrender Arrear																														
Other-2																														
Surr. Arrear																														
Sal. Arrear-1																														
Sal. Arrear-2																														
Sal. Arrear-3																														
<b>Total</b>																														

Signature of Employee

Signature of DDO ()

**RECEIPT OF HOUSE RENT**  
*(Under section 1 (13-A) of Income Tax Act)*

Date :-

I Owner  
Received with Thanks from Sri/Smt. (0)

Address-

The sum of (Quarterly)	
Towards the House Rent (Monthly) @	

Per Month From :- 1 April, 2022 To 30 June, 2022

Rs. =

Date:-

<b>(Signature of House Owner)</b>	
(Affix Revenue Stamp of Rs.1/-)	
Name-	
<b>ADDRESS</b>	
PAN NUMBER	

**RECEIPT OF HOUSE RENT**  
*(Under section 1 (13-A) of Income Tax Act)*

Date :-

I Owner  
Received with Thanks from Sri/Smt. (0)

Address-

The sum of (Quarterly)	
Towards the House Rent (Monthly) @	

Per Month From :- 1 July, 2022 To 30 Sep, 2022

Rs. =

Date:-

<b>(Signature of House Owner)</b>	
(Affix Revenue Stamp of Rs.1/-)	
Name-	
<b>ADDRESS</b>	
PAN NUMBER	

**RECEIPT OF HOUSE RENT**  
*(Under section 1 (13-A) of Income Tax Act)*

Date :-

I Owner  
Received with Thanks from Sri/Smt. (0)

Address-

The sum of (Quarterly)	
Towards the House Rent (Monthly) @	

Per Month From :- 1 Oct, 2022 To 31 Dec, 2022

Rs. =

Date:-

<b>(Signature of House Owner)</b>	
(Affix Revenue Stamp of Rs.1/-)	
Name-	
<b>ADDRESS</b>	
PAN NUMBER	

**RECEIPT OF HOUSE RENT**  
*(Under section 1 (13-A) of Income Tax Act)*

Date :-

I Owner  
Received with Thanks from Sri/Smt. (0)

Address-

The sum of (Quarterly)	
Towards the House Rent (Monthly) @	

Per Month From :- 1 Jan., 2023 To 31 March, 2023

Rs. =

Date:-

<b>(Signature of House Owner)</b>	
(Affix Revenue Stamp of Rs.1/-)	
Name-	
<b>ADDRESS</b>	
PAN NUMBER	



**किराये के मकान में रहने वाले राज्य कर्मचारी के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त करने हेतु  
आवेदन पत्र**

1. नाम .....
2. पद एवं विभाग जिसमें नियुक्त है .....
3. मकान मालिक का नाम एवं किराये के मकान का पूरा पता .....
4. दिया जाने वाला मासिक किराया .....
5. नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत मकान किराया भत्ते की रकम .....
6. किराये के मकान को लेने की तारीख .....

**प्रमाणित किया जाता है कि :-**

- (i) मैं नगरपालिका क्षेत्र/गांव ..... में स्थित मकान में किराये पर रह रहा हूँ।
- (ii) मुझे सरकारी नियम स्थान नहीं मिला है।
- (iii) जिस मकान का किराया भत्ता मांगा गया है, उसका कोई भी भाग न तो दूसरे को किराये पर दिया गया है और न ही मुझे पर पूरी तरह अधिकृत अध्या मेरे कुटुम्ब के व्यक्तियों के अतिरिक्त उसमें कोई रहता है।
- (iv) मेरी पत्नि/पति, मेरे नियुक्ति स्थान पर, न राज्य सेवा में है और न अन्य पब्लिक/प्राइवेट क्षेत्र में नियुक्ति पर है।

**अथवा**

मेरी पत्नि/पति मेरे नियुक्ति के स्थान पर, राज्य सेवा में है या पब्लिक/प्राइवेट क्षेत्र में नियोजन में नियुक्ति पर है और वह राज्य सरकार/अन्य नियोजन से मकान किराया भत्ता नहीं ले रहा है।

(जो बल का न हो उसे बल दें)

- (v) प्रमाणित किया जाता है कि मेरे अधीनस्थ मकान का वास्तव में दिया गया किराया, मुझे स्वीकृत किये गये मकान किराये से कम नहीं है/था।
- (vi) मेरी पत्नि/पति को केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/एक ऑटोनोमस पब्लिक अन्डरटेकिंग या अर्द्ध राजकीय संस्थान द्वारा उसी स्थान पर औद्योगिक निवास (फेमिली एक्लोजेशन) अलोट नहीं किया गया है।

दिनांक : .....  
हस्ताक्षर .....  
पद .....  
विभाग .....

**कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में उपयोग हेतु**

प्रमाणित किया जाता है :-

- (1) मैंने मकान किराये भत्ते के मांग की जांच कर ली है और मुझे सन्तुष्टि है कि मांग नियमों के अनुकूल है। सरकार द्वारा स्वीकृत प्रमाण-पत्र राज्य कर्मचारी से प्राप्त कर लिये गये हैं।
- (2) एतद्वारा मकान किराया भत्ता रूपये ..... का स्वीकृत किया जाता है।